रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225979
CG-DL-E-18032021-225979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942
No. 1155] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

का.आ. 1247(अ).—केंद्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद प.स.नि. अधिसूचना कहा गया है), संख्या का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की है, जिसमें विनियामक संबंधित प्राधिकरण से प.स.नि. अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध, यथास्थिति, सभी नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षा को आज्ञापक बनाया गया है ;

और, प.स.नि. अधिसूचना 2006 का पैरा 9 और पश्चात्वर्ती संशोधन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता को परिभाषित करता है ;

और, केंद्रीय सरकार, उन परियोजनाओं के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध करना आवश्यक समझती है, जो अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के भीतर प्रस्तावित क्रियाकलापों के सन्निर्माण को पूरा करने और चालू करने में समर्थ नहीं रही हैं और पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता की समाप्ति के कारण नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 7 के उपपैरा 7(i) में, उपशीर्ष संख्यांक II, प्रक्रम (2) -- विस्तारण के अधीन, क्रम संख्यांक (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

"(x) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे परियोजनाएं, जहां प्रस्तावित क्रियाकलापों का सन्निर्माण और चालू किया जाना पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता की अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ है और पर्यावरणीय अनापत्ति की उक्त अवधि की समाप्ति के कारण पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वहां, यथास्थिति, संबद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति, इस शर्त के अधीन रहते हुए लोक सुनवाई की अपेक्षा से छूट दे सकेगी कि परियोजना, उसके वास्तविक रूप या सन्निर्माण में पचास प्रतिशत से अन्यून कार्यान्वित की गई है ।"।

[फा. सं. 22-37/2020-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 980(अ), तारीख 2 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

S.O. 1247(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance, from the concerned regulatory authority, mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the EIA notification, their expansion and modernization and/or change in product mix, as the case may be;

AND WHEREAS, paragraph 9 of EIA Notification, 2006 and subsequent amendments defines the validity of Environmental Clearances for different class of projects or activities;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to provide certain provisions for the projects which have not been able to complete the construction and commissioning of the proposed activities within the validity period of the Environmental Clearance granted and have submitted *de-novo* due to the expiry of the validity of the Environmental Clearance.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14thSeptember, 2006, namely:-

In the said notification, in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), under the sub-heading number II, Stage (2) – Scoping, after the serial number (ix), the following shall be inserted, namely:-

"(x) Notwithstanding anything contained above, the projects where construction and commissioning of proposed activities have not been completed within the validity period of the Environmental Clearance (EC) and a fresh application for EC has been submitted due to expiry of the said period of the EC, the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Committee, as the case may be, may exempt the requirement of public hearing subject to the condition that the project has been implemented not less than fifty percentage in its physical form or construction.".

[F.No. 22-37/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 980(E), dated 2nd March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.18 20:09:16 +05'30'